न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1851--तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–9–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 203/05–06/अपील

निर्भय सिंह पुत्र निर्मलसिंह
कोटवार ग्राम मदनी तहसील जिला रायसेन

.....आवेदक

विरूद्ध

1 मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर रायसेन
2 प्रहलाद सिंह आ0 खिलान सिंह
3 भगत सिंह आ0 अमानसिंह
4 अभयसिंह आ0 रामसिंह
समस्त निवासी ग्राम मदनी तह0 बेगमगंज
जिला रायसेन

.....अनावेदकगण

श्री डी0 डी0 मेघानी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 15 मई, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–9–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण सहित अन्य ग्रामवासियों द्वारा कलेक्टर को इस आशय की शिकायत की गई कि आवेदक निर्भयसिंह कोटवार पद पर पदस्थ है, परन्तु वह ग्राम में निवास नहीं करता है और अधिकांश समय बेगमगंज में

रहता है तथा नेता गिरी करता है । इस कारण ग्रामवासियों एवं शासकीय कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । अतः आवेदक चौकीदार से उन्हैं मुक्ति दिलाई जाये । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–56/04–05 दर्ज किया जाकर दिनांक 15–12–2004 को आदेश पारित कर आवेदक को कोटवार पद से पदच्युत किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 28–3–2005 को लगभग 2 माह विलंब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–12–2005 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–9–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3 चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण नहीं कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई है । अतः इस प्रकरण के निराकरण के लिये केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है अथवा नहीं ?

4 इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये था । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका खण्डन अनावेदकगण द्वारा नहीं किया गया, अतः अखण्डित शपथ पत्र को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मान्यता देकर विलंब क्षमा करना चाहिये था । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 एवं अन्य शिकायतकर्ताओं से आवेदक की व्यक्तिशः रंजिश है और इनमें से एक शिकायतकर्ता सरपंच है, जिसके द्वारा किये गये घोटाले की शिकायत आवेदक द्वारा की गई थी, इसलिये दूर्भावनावंश प्रस्तुत की गई

शिकायत के आधार पर तहसीलदार द्वारा आवेदक को कोटवार पद से हटाने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार का दायित्व था कि वह शिकायतकर्ता एवं आवेदक को साक्ष्य एवं प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान करते, परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक 3 ग्रामों का कोटवार है और अन्य दो ग्रामों के ग्रामवासियों द्वारा आवेदक को नहीं हटाने की सिफारिश की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को नौकरी से हटाना बडा दण्ड है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये । तर्क के समर्थन में 1991 राजस्व निर्णय 127, 1995 राजस्व निर्णय 411, 1997 राजस्व निर्णय 345 एवं 360, 1997 (2) विधि भास्कर 124, 2004 (1) एमपीवीकली नोट 72, 2003 (1) एमपी वीकली नोट 27, 1986 (2) एमपी वीकली नोट 147, 2005 राजस्व निर्णय 184, 2003 राजस्व निर्णय 448, 1988 राजस्व निर्णय 10 एवं 1983 राजस्व निर्णय 176 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदकगण की ओर से सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 1–12–2004 को प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया है और आदेश हेतु दिनांक 8–12–2004 नियत की गई है । तहसीलदार द्वारा 8–12–2004 को आदेश पारित नहीं किया गया है और आगामी तिथि 15–12–2004 नियत की गई । दिनांक 15–12–2004 को तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है और उक्त दिनांक को आवेदक अनुपस्थित था । 1991 राजस्व निर्णय 127 लज्जाराम वि0 म0 प्र0 राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकार की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया, विलंब क्षमा हेतु शपथ पत्र सहित आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गय, शपथ पत्र का खण्डन नहीं किया गया । अतः अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर विलंब माफ किया जाना चाहिये । प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक को कोटवार पद से पृथक करने जैसा कठोर दण्ड दिया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी को उदार दृष्टिकोण अपना कर दो माह का विलंब क्षमा करते हुये गुणदोष पर अपील का निराकरण

करना था, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सामान्यतः प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर नहीं कर गुणदोष पर करना चाहिये, जिससे पक्षकार को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके, जब तक असाधारण विलंब न हुआ हों । इसी आशय का न्यायिक सिद्धांत एआईआर 1987 (सुको0) 1353 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि विलंब के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है। अतः दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–9–2011 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2005 अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाते हैं। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में मान्य की जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज, जिला रायसेन को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर